

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

UPPG160035822026



Bail Application/ 435 /2026

राज्य उ.प्र. बनाम नरेश कुमार

दिनांक-18.06.2026

अभियुक्त नरेश कुमार की ओर से मु०अ०सं०-62/2026 अन्तर्गत धारा-281, 106, 125 बी०एन०एस० थाना-बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त सशरीर न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है प्रार्थी/अभियुक्त को अवैधानिक ढंग से फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं है। सभी धारयें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुवलिग 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू व अंडरटेकिंग दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

1. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, अनावश्यक स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।
2. मामले के वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण को उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करेगा।

(आकृति गौतम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़।

स्टेनो-सुनील कुमार पटेल(II)